



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2013/माघ 3, 1934

No. 221]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2013/MAGHA 3, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2013

का.आ. 237(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2316(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2012, जो भारत के राजपत्र, तारीख 27 सितम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में असम राज्य में असम नवीकरण परियोजना के माध्यम ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 2 नवम्बर-2012 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

सर्कल :सोनारी		मोजा : सिलाकुटी	जिला: शिवसागर	राज्य: असम		
क्रम सं	गाँव का नाम	डाग संख्या	क्षेत्रफल			
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
1	दिहिगिया कोन्वर गाँव	1211	00	00	60	
		310	00	00	65	
		1210	00	08	96	
		1185	00	06	60	
		312	00	02	40	
2	लक्वा टी एस्टेट	89	00	02	00	
		11	00	02	25	
		21	00	48	30	
		4	01	52	72	
		88	00	12	67	
3	सोला टी एस्टेट	30	00	00	80	
		35	00	01	25	
		38	00	01	12	
		37	00	17	50	
		34	00	00	80	
		50	00	08	20	
		51	00	14	30	
		52	00	16	30	
		53	00	02	40	
		54	00	15	50	
		55	00	04	50	
		59	00	00	80	
		57	00	02	25	
		58	00	10	18	
40	00	00	50			
4	सोला पाथर	25	00	02	00	
		26	00	03	95	
		27	00	00	80	
5	घेरा चुवा गाँव	649	00	05	60	
		648	00	06	40	
		647	00	16	00	
		646	00	12	59	
		643	00	13	50	
		645	00	22	33	

सर्कल : सोनारी		मोजा : सिलाकुटी	जिला : शिवसागर	राज्य : असम		
क्रम सं.	गाँव का नाम	डाग सँख्या	क्षेत्रफल			वर्ग मीटर
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
5	घेरा चुवा गाँव (जारी)	635	00	01	58	
		710	00	08	55	
		634	00	01	60	
		650	00	00	65	
		711	00	00	55	
		709	00	00	50	

[फा. सं. ओ-12016/12/2009-ओ.एन.जी.-III]

राज शेखर सिकदार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2013

S.O. 237(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.2316(E) dated the 20 September, 2012, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 27 September, 2012, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline under Assam Renewal Project in Sivasagar District in the State of Assam by Oil & Natural Gas Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 02.11.12.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of this declaration, in Oil & Natural Gas Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Circle : SONARI		Mouja : SILAKUTI	District : SIVASAGAR		State : ASSAM
Sl. No.	Name of the Village	Dag Number	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Dihingia Konwar Gaon	1211	00	00	80
		310	00	00	65
		1210	00	08	96
		1185	00	06	60
		312	00	02	40
2	Lakwa Tea Estate	89	00	02	00
		11	00	02	25
		21	00	48	30
		4	01	52	72
		88	00	12	67
3	Chola Tea Estate	30	00	00	80
		35	00	01	25
		38	00	01	12
		37	00	17	50
		34	00	00	80
		50	00	08	20
		51	00	14	30
		52	00	16	30
		53	00	02	40
		54	00	15	50
		55	00	04	50
		59	00	00	80
		57	00	02	25
		58	00	10	18
		40	00	00	50
4	Chola Pathar	25	00	02	00
		26	00	03	95
		27	00	00	80
5	Ghora Chuwa Gaon	649	00	05	60
		648	00	06	40
		647	00	16	00
		646	00	12	59
		643	00	13	50
		645	00	22	33

Circle : SONARI		Mouja : SILAKUTI	District : SIVASAGAR		State : ASSAM
Sl. No.	Name of the Village	Dag Number	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
5	Ghora Chuwa Gaon. (Contd.)	635	00	01	58
		710	00	08	55
		634	00	01	60
		650	00	00	65
		711	00	00	55
		709	00	00	50

[F. No. O-12016/12/2009-ONG-III]

R. S. SIKDAR, Under Secy.

334 GI/13-2